

उत्तर प्रदेश सरकार  
युवा कल्याण विभाग  
संख्या:- 1778/पचास-यु0क0-2014-180(पी0वी0डी0)/82  
लखनऊ :दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन)  
नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कही जाएगी।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम-5 के खण्ड (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(3) जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी-  
(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।  
(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और मौलिक रूप से नियुक्त व्यायाम प्रशिक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी- पदोन्नति के प्रयोजन के लिए व्यायाम प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(3) जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी-

(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिसमें से :-

(क) चवालिस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) छः प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यायाम प्रशिक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियम-21  
का-प्रतिस्थापन

3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

परिवीक्षा 21- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परिवीक्षा 21-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

आज्ञा से,



(भुवनेश कुमार)  
सचिव।

संख्या-1778 (1)/पचास-यु0क0-2013-180 पी0वी0डी0/82 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, को आयोग के पत्र संख्या-515/1/रूल्स/एस-6/2013-14, दिनांक 15 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में नियमावली की 25-25 प्रतियों (हिन्दी/अंग्रेजी) में ,
- 4- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ कार्यालय, लखनऊ को नियमावली की अंग्रेजी प्रति सहित उत्तर प्रदेशीय सरकार के आसाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में प्रकाशित करने एवं हिन्दी /अंग्रेजी की प्रति की 300-300 प्रतियों उपलब्ध कराने हेतु।
- 6- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)  
उप सचिव।

o/c

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1778/50-Y.K.-2014-180-P.V.D./82, Dated 09 December, 2014 :

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**  
**DEPARTMENT OF YOUTH WELFARE**  
No.- 1778/50-Y.K.-2014-180-P.V.D./82,  
Dated, Lucknow, 09 December, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal/Pradeshik Vikas Dal Officer's Service Rules, 2013

**THE UTTAR PRADESH YOUTH WELFARE AND PRANTIYA RAKSHAK DAL/PRADESHIK VIKAS DAL OFFICER'S SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2014**

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal/Pradeshik Vikas Dal Officer's Service (First Amendment) Rules, 2014  
(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal/Pradeshik Vikas Dal Officer's Service Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5, for existing clause (3) setout in column 1 below, the clause as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

	<b>Column-1</b> <b>Existing Clause</b>	<b>Column-2</b> <b>Clause as hereby substituted</b>
	District Youth Welfare and Pradeshik Vikas Dal Officer- (3)	District Youth Welfare and Pradeshik Vikas Dal Officer-
(i)	Fifty percent by direct recruitment through the Commission; (i)	Fifty percent by direct recruitment through the Commission;
(ii)	Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Kshetriya Yuva Kalyan Evam Pradeshik Vikas Dal Adhikaris and substantively appointed Vyayam Prashikshaks (ii)	Fifty percent by promotion through the Commission, from which:- (a) Forty four percent from amongst substantively appointed Kshetriya Yuva Kalyan Evam Pradeshik Vikas Dal Adhikaris who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

